मध्यप्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय,वल्लभ भवन,भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक   मार्च, 2006

क्रमांक एफ 19–23/2005/12/2 : राज्य शासन प्रदेश में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन की रोकथाम के लिये भारत सरकार द्वारा निर्धारित संरचना अनुसार प्रदेश स्तर पर निम्नानुसार टास्क फोर्स का गठन करता है :

1. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग	अध्यक्ष.
2. उप संचालक (खनि प्रशासन) खनि अधिकारी (खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिलो से) मध्य प्रदेश	सदस्य.
3. वन विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
4. परिवहन विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
5. गृह(पुलिस)विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि	सदस्य
6. क्षेत्रीय खान नियंत्रण ब्यूरो का प्रतिनिधि	सदस्य
7. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य.
8. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश, भोपाल.	सदस्य सचिव/संयोजक

समिति का कार्यक्षेत्र :

उपरोक्त समिति का कायक्षत्र निम्नानुसार रहेगा :–

1. अवैध उत्खनन के कार्य में उप संचालक (खनि प्रशासन) /खनि अधिकारी /वन अधिकारी द्वारा उनके कार्यो की समीक्षा करना।
2. इंडियन ब्यूरों ऑफ माईन्स या किसी भी अन्य प्राधिकारी, जन शिकायत और समाचार आदि के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों पर राज्य शासन द्वारा की गई कार्यवाही।
3. सदस्य विभागों के बीच समन्वय की समीक्षा एवं लंबित मामलों पर चर्चा।
4. किसी भी खनन गतिविधियों के संबंध में केन्द्र/राज्य शासन द्वारा ध्यान में लाये जाने वाले प्रकरणों पर कार्यवाही।
5. टास्क फोर्स द्वारा की गई कार्यवाही एव अनुशंसा की जानकारी भारत सरकार को भेजा जाना।
6. भारत शासन को प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत करने हेतु जानकारी संकलित करना।

निरन्तर :– 2/–

बैठक की कालावधि :

राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक तीन माह में एक बार की जावे।

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होंगे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

हस्ता/

(डॉ.देव राज बिरदी)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

पृ.कमांक एफ 19–23/2005/12/2 भोपाल, दिनांक 22 मार्च, 2006.

1. सचिव, भारत सरकार, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन/परिवहन/गृह (पुलिस)/आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल। कृपया अपने विभाग से उपयुक्त अधिकारी का नामांकन शीघ्र कर अवगत कराने का कष्ट करें।
3. समस्त आयुक्त, मध्य प्रदेश
4. समस्त कलेक्टर, मध्य प्रदेश
5. निज सचिव, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खनिज साधन विभाग, मध्य प्रदेश, भोपाल।
6. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, मध्य प्रदेश, भोपाल।
7. नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो जबलपुर, मध्य प्रदेश।
8. उप संचालक (खनि प्रशासन)/खनि अधिकारी, जिला ——— म.प्र.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
खनिज साधन विभाग.